मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,उत्तर प्रदेश

कारागार भवन, निकट ईको गार्डन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग लखनऊ–226005
फोन :0522–2455155,फैक्स : 0522–2455160 / 2454939 ई मेल : upjailaudit@gmail.com

परिपत्र संख्या– 01 /संप–4 / 2020

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 16 जनवरी,2020

विषयः– महालेखाकार / विभागीय सम्प्रेक्षा प्रतिवेदनों में उद्घाटित आपत्तियों एवं प्रभार हस्तान्तरण में कमी / शासकीय क्षति सम्बन्धी प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

कारागार संस्थाओं की सम्परीक्षा में विभिन्न अनियमितताओं के रूप में तथा प्रभार हस्तान्तरण में सामग्री की कमी के रूप में शासकीय क्षति पायी जाती है। क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से कारागारों को कार्यालय के परिपत्र संख्या–34 / संप, दिनांक 31.07.2008 द्वारा यथोचित कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया है। शासकीय क्षति की स्थिति संज्ञानित होते ही कारागार अधीक्षक का यह दायित्व है कि वह तत्काल शासकीय धन की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करायें। यदि सम्परीक्षा द्वारा स्थिति संज्ञानित होती है तो भी तत्काल कार्यवाही कराते हुए उसका निस्तारण कराना चाहिए। जेल मैनुअल के पैरा–1383 में भी यह प्राविधानित है कि "सम्परीक्षा टिप्पणी या तो विभागीय सम्परीक्षकों अथवा महानिरीक्षक के कार्यालय के सम्परीक्षण प्राप्त करने पर साधारणतया अधीक्षक इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर कार्यवाही करेंगे और जब यह सम्भव न हो विलम्ब के कारणों की रिपोर्ट महानिरीक्षक को करेंगें।"

सतत निर्देशों के उपरान्त भी शासकीय क्षति की वसूली के प्रकरण दीर्घकाल तथा अनावश्यक लम्बित रहते है तथा शासकीय क्षति हेतु दोषी कार्मिक का स्थानान्तरण हो जाने पर सम्बन्धित कारागार द्वारा अभीष्ट कार्यवाही में रूचि नहीं ली जाती है। समयान्तर्गत प्रकरण का निस्तारण धनराशि की वसूली न हो पाने पर सम्बन्धित कार्मिक के सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु की स्थिति में शासकीय क्षति की धनराशि की वसूली / आपत्ति विलम्बित हो जाती है।

शासकीय क्षति की वसूली सम्बन्धित कार्मिक से समयान्तर्गत न हो पाने का एक परिणाम यह भी होता है कि कार्मिक की सेवानिवृत्त के समय अदेयता निर्गत करने में भी कठिनाई / विलम्ब उत्पन्न होता है। इस स्थिति को उचित नहीं माना जा सकता है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि महालेखाकार / विभागीय सम्परीक्षा एवं प्रभार हस्तान्तरण में पायी गयी शासकीय क्षति की वसूली के सम्बन्ध में उस कारागार के कार्यालयाध्यक्ष, जहां का प्रकरण है, का यह दायित्व होगा कि वे शासकीय क्षति की धनराशि की वसूली सुनिश्चित करें तथा कोषपत्र की प्रमाणित प्रति मुख्यालय समयान्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में शिथिलता अथवा लापरवाही से होने वाली किसी विपरीत परिस्थिति हेतु उत्तरदायित्व के निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं अधीनस्थ सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को भी संज्ञानित कराना सुनिश्चित करें।

16/1/20

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।